

7

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
आदेश

संख्या-2/सा.चि.पदा.-87/2025- /स्वा०, पटना, दिनांक / /2026

डा० अभिषेक, ट्यूटर, पी०एस०एम० विभाग, पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना का दिनांक-10.09.2021 से 31.07.2023 तक अध्ययन अवधि एवं दिनांक-06.09.2024 से 06.01.2025 तक प्रभार रहित अवधि को निम्नवत् विनियमित किया जाता है:-

1.	दिनांक-10.09.2021 से 31.07.2023 तक (कुल-782 दिन)	
i.	दिनांक-10.09.2021 से 31.07.2023 तक	- अध्ययन अवधि को असाधारण अवकाश के रूप में (विभागीय अधिसूचना संख्या-2045(2) दिनांक-30.11.2011 के आलोक में)।
2.	दिनांक-06.09.2024 से 06.01.2025 तक (कुल-123 दिन)	
i.	दिनांक-06.09.2024 से 08.09.2024 तक	- असाधारण अवकाश के रूप में। (बिहार सेवा संहिता के नियम-236 के आलोक में)
i.	दिनांक-09.09.2024 से 27.12.2024 तक	- पदस्थापन की प्रतीक्षा अवधि के रूप में (मुख्यालय स्वास्थ्य विभाग)।
ii.	दिनांक-28.12.2024 से 06.01.2025 तक	- असाधारण अवकाश के रूप में। (बिहार सेवा संहिता के नियम-236 के आलोक में)

2. प्रस्ताव में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(राजीव रंजन)

सरकार के अवर सचिव

1994(2)

ज्ञापांक-2/सा.चि.पदा.-87/2025-

पटना, दिनांक 13/8/2026

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग बिहार, पटना/प्राचार्य, पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना/कोषागार पदाधिकारी, पटना/डा० अभिषेक, ट्यूटर, पी०एस०एम० विभाग, पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना /प्रशाखा-3, 9 एवं 18A को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

35/12/8/2026
सरकार के अवर सचिव
R